

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 12, शक 1943

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 28 नवम्बर 2021

क्र. 2278-टूडा-2021.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक 1-22-2021-अठारह-3-भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2021 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सागर जिले की सागर ब्लॉक की सीमाओं के अंदर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को कर्रापुर नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 10 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा.

नगर परिषद् कर्रापुर गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम:—

स. क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सागर	सागर	कर्रापुर	कर्रापुर	लुहरी, खिरिया	2035.41
2				बारछा	तिन्सुआ, चिटार्ई	1476.04
3				मझगुवां	मझगुवां	1011.96
4				सिमिरिया	गोरा, धारखेडी	1167.66
			कुल . .	04	07	5691.07

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक आर्य, कलेक्टर.

Sagar, the 28<sup>th</sup> November 2021

No. 2278-DUDA-2021.—According to the approval received from the order number 1-22-2021-XVIII-3, Bhopal, dated 26<sup>th</sup> November 2021 of the Madhya Pradesh Urban Development and Housing Department, section 5(1)(a) of the Madhya Pradesh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961). In exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Sagar block of Sagar district is initially notified for the formation of Karrapur Municipal council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained therein, may, within 10 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, give its written objection/suggestion to the District Collector Sagar. After the time period, any objection will not be valid, which will be considered by the State government.

Revenue villages to be included in the Formation of Municipal council Karrapur:—

No.	Distt.	Block	Name of the dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat included for the formation of urban area	Included villages	Area (in Hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sagar	Sagar	Karrapur	Karrapur	Luhari, Khiriya	2035.41
2				Barchha	Tinsuwa, Chitai	1476.04
3				Majhguwa	Majhguwa	1011.96
4				Simariya	Gora, Dharkheri	1167.66
Total . .				04	07	5691.07

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
DEEPAK ARYA, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 2 दिसम्बर 2021

क्र. 1140-डूडा-2021.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक 3219-384-1530-2021-अठारह-3, भोपाल दिनांक 2 दिसम्बर 2021 से प्राप्त निर्देश अनुसार, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 वर्ष 1961) की धारा 5(1) (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, रायसेन जिले की उदयपुरा विकासखण्ड की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को देवरी नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 03 (तीन) दिवस की भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव, कलेक्टर, जिला रायसेन को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :-

नगर परिषद् देवरी गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

अनुसूची

स. क्र.	जिला	विकासखण्ड	प्रभावित ग्राम पंचायत	सम्मिलित राजस्व ग्राम	क्षेत्रफल (है.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रायसेन	उदयपुरा	देवरी	देवरी अनघोरी	1714.543
2			बम्होरी/देवरी	बम्होरी रोढ़ा करहैया मोहड पपलई बडगवा कलॉ	487.176 188.604 176.01 444.946 142.546

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3			बूधनवाडा	बुधनवाडा आल्हनपुर	658.876 1074.8
4			गोरखपुर	गोरखपुर	922.608
5			डुगरीयाँ	डुगरीयाँ जागीर बिलगवां जूनापानी बारखेड़ी ऊंचाखेड़ा	240.89 172.262 218.518 119.765 385.118
6			टिमरावन	गहलावन	572.94
7			आलीवाड़ा	आलीवाड़ा	357.96

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरविन्द कुमार दुबे, कलेक्टर.

Raisen, the 2<sup>nd</sup> December 2021

No. 1140-DUDA-2021.—According to the direction received from the Urban Development and Housing Department Madhya Pradesh by the vide letter number 3219-384-1530-2021-XVIII-3, Bhopal, dated 2<sup>nd</sup> December 2021 under the Section 5(1) (b) read with the Section 6 of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961) in exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following Schedule within the limits of Udaipura block of the Raisen District is initially notified for the formation of Deori Nagar Parishad. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained there-in, may within 3(three) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette give its written objection/suggestion to the District Collector, Raisen. After the time period any objection will not be valid which will be considered by the State Government :-

**Revenue villages to be included in the formation of Nagar Parisad Deori**

**SCHEDULE**

S. No.	District	Block	Name of the affected Gram Panchayat	Included Revenue Village	Area (Ha.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Raisen	Udaipura	Deori	Deori Anghori	1714.543
2			Bamohori Deori	Bamohori Rodha Karahiya Mohod Paplai Badgawan Kalan	487.176 188.604 176.01 444.946 142.546
3			Budhanwada	Budhanwada Aalhanpur	658.876 1074.8
4			Gorakhpur	Gorakhpur	922.608
5			Dugariya	Dugariya Jagir Bilgawan Joonapani Barkhedi Unchakheda	240.89 172.262 218.518 119.765 385.118
6			Timrawan	Gahlawan	572.94
7			Aaliwada	Aaliwada	357.96

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARVIND KUMAR DUBEY, Collector.

## कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 2 दिसम्बर 2021

क्र. 1590-डूडा-2021.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-06-2021-अंठारह-3, भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2021 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के साथ सहपठित धारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सिंगरौली जिले के बरगवां ब्लाक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को बरगवां नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 6 दिसम्बर 2021 दोपहर 2.00 बजे के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव, नगरपालिका निगम, सिंगरौली के जिला शहरी विकास अभिकरण शाखा को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :—

## नगर परिषद् बरगवां गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम

## अनुसूची

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम पंचायत का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र/ग्रामों का विवरण (5)
1	सिंगरौली	देवसर	बरगवां डगा कनई बरैनिया बरहवाटोला	बरगवां डगा कनई 1. बरैनिया 2. चौडर बरहवाटोला

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव रंजन मीना, कलेक्टर.

Singrauli, the 2<sup>nd</sup> December 2021

No. 1590-DUDA-2021.—According to the approval received from the order number F1-06-2021-XVIII-3, Bhopal, dated 2<sup>nd</sup> December 2021 of the Madhya Pradesh Urban Development and Housing Department Section 5 and 6 of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961. In exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following Schedule or within the limit of Barganwan block Singrauli District is initially notified for the formation of Barganwan Municipal Council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to made respect of any suit contained therein, may within 6<sup>th</sup> December 2021 timing 2.00 AM from the date of publication of this notification in the Official Gazette give its written objection/suggestion to the Municipal Corporation Singrauli DUDA Office. After the time period any objection will not be valid which will be considered by the State Government :—

## Revenue villages to be included in the formation of Municipal Council Barganwan

## SCHEDULE

S. No.	District	Tehsil	Name of the Dissolved Gram Panchayat	Name of the Gram Panchayat Included for the formation of Urban area	Included/Detail of Villages
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Singrauli	Devsar	Barganwan	Barganwan Daga Kanai	Barganwan Daga Kanai

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Barainiya	1. Barainiya
					2. Dhoudar
				Barahawa Tola	Barahawa Tola

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJEEV RANJAN MEENA, Collector.

सिंगरौली, दिनांक 2 दिसम्बर 2021

क्र. 1591-डूडा-2021.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-22-2019-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2021 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के साथ सहपठित धारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सिंगरौली जिले के सरई ब्लाक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को सरई नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 6 दिसम्बर 2021 दोपहर 2.00 बजे के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव, नगरपालिक निगम, सिंगरौली के जिला शहरी विकास अभिकरण शाखा को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :—

नगर परिषद् सरई गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम  
अनुसूची

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र/ग्रामों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सिंगरौली	सरई	सरई	सरई
			अमहाटोला	1. अमहाटोला
			घोघरा	2. नौडिया
			इटमा	1. घोघरा
			समूद	2. दहजुड
			कोनी	1. इटमा
			दियागडई	2. शिवगढ
				1. समूद
				2. हट्टा
				1. कोनी
				2. भीखाझरिया
				1. दियागडई
				2. कसईया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव रंजन मीना, कलेक्टर.

Singrauli, the 2<sup>nd</sup> December 2021

No. 1591-DUDA-2021.—According to the approval received from the order number F1-22-2019-XVIII-3, Bhopal, dated 2<sup>nd</sup> December 2021 of the Madhya Pradesh Urban Development and Housing Department Section 5 and 6 of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961. In exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following Schedule within the limit of Sarai block Singrauli District is initially notified for the formation of Sarai Municipal Council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to made respect of any suit contained therein, may within 6<sup>th</sup> December 2021 timing 2.00 AM from the date of publication of this notification in the Official Gazette give its written objection/suggestion to the Municipal Corporation Singrauli

DUDA Office. After the time period any objection will not be valid which will be considered by the State Government :—

**Revenue villages to be included in the formation of Municipal Council Sarai**

**SCHEDULE**

S. No.	District	Tehsil	Name of the Dissolved Gram Panchayat	Name of the Gram Panchayat Included for the formation of Urban area	Included/Detail of Villages
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Singrauli	Sarai	Sarai	Sarai Amaha Tola Ghoghara Itma Samood Koni Diyagadai	Sarai 1. Amaha Tola 2. Naudhiya 1. Ghoghara 2. Dahjud 1. Itma 2. Shivgarh 1. Samood 2. Hatata 1. Koni 2. Bhikhajhariya 1. Diyangadai 2. Kasaiya

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJEEV RANJAN MEENA, Collector.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश**

अनूपपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2021

क्र. 5726-पांच-व.लि.-नग. निका.-2021.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 5(1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् बरगवाँ (अमलाई) का गठन करती है.

सारणी में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों को अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से 03 दिन के भीतर में अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर, जिला अनूपपुर को प्रस्तावित कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :—

**सारणी**

क्र.	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित क्षेत्र ग्रामों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अनूपपुर	अनूपपुर	बरगवाँ	1. बरगवाँ (अमलाई)
2	अनूपपुर	अनूपपुर	देवहरा	1. देवहरा 2. सकोला

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सोनिया मीना, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास अभिकरण), दमोह, मध्यप्रदेश

दमोह, दिनांक 2 दिसम्बर 2021

क्रमांक-जिशविअ-न.प.गठन-2021.—अधिसूचना क्रमांक 1516, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 में दर्शित प्रावधान अनुसार एवं प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची-एक में यथा-उल्लेखित क्षेत्रों को सम्मिलित कर नवीन नगर परिषद्, बटियागढ़ के गठन किये जाने हेतु इस आशय की घोषणा करते हैं, अर्थात् :-

## अनुसूची—एक

## नगर परिषद् बटियागढ़ के गठन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

क्र.	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्र का ब्यौरा	ग्राम की ग्राम पंचायत मुख्यालय से दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बटियागढ़	बटियागढ़	बटियागढ़	1200	सम्पूर्ण	0 किमी
2	बटियागढ़	शहजादपुरा	घनश्यामपुरा	816.58	सम्पूर्ण	4 किमी
3	बटियागढ़	सरिया	टिकरी	157.39	सम्पूर्ण	2 किमी
4	बटियागढ़	सरिया	नीमखेड़ा	174.60	सम्पूर्ण	3 किमी
5	बटियागढ़	सैड़ारा	शेखपुरा	86	सम्पूर्ण	3 किमी

## अनुसूची—दो

अनुसूची-एक में दर्शाये गये प्रस्तावित क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात्, नगर परिषद्, बटियागढ़ की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होगी :-

उत्तर दिशा — उत्तर दिशा में ग्राम घनश्यामपुरा

पूर्व दिशा — पूर्व दिशा में ग्राम टिकरी

दक्षिण दिशा — दक्षिण दिशा में ग्राम बटियागढ़

पश्चिम दिशा — पश्चिम दिशा में ग्राम शेखपुरा

उपरोक्तानुसार सारणी के स्तम्भ क्रमांक 3 में दर्शित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नगर परिषद्, बटियागढ़ के गठन करने के संबंध में आम जनता से दावे एवं आपत्तियां आहूत की जाती हैं। यदि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई भी दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो कार्यालयीन दिवस एवं समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अधीन दिनांक 10 दिसम्बर 2021 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् प्राप्त दावों आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर.

Damoh, the 2nd December 2021

Letter No. D.U.D.A.-N.P.Gathan-2021.—Notification No. 1516, Madhya Pradesh in Provision and exercise of the power conferred by of Section 5 of the Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961), in order to constitute a new Municipal Council Batiagarh by including the areas as mentioned in Schedule I given below, declares intent, namely :-

SCHEDULE-I

**Proposed area for the formation of city council Batiagarh**

No.	Name of Tehsil	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Area (in Hectares)	Area Details	Distance of Village from Grampanchayat Headquarter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Batiagarh	Batiagarh	Batiagarh	1200	Total	10 Km
2	Batiagarh	Shahzadpura	Ghanshyampura	816.58	Total	4 Km
3	Batiagarh	Saria	Tikri	157.39	Total	2 Km
4	Batiagarh	Saria	Neemkheda	174.60	Total	3 Km
5	Batiagarh	Saidara	Sheikhpura	86	Total	3 Km

SCHEDULE-II

After including the proposed area shown in Schedule I, the revised limits of Municipal Council Batiagarh will be as follows :—

**North Direction**—Village Ghanshyampura in the North direction

**East Direction**— Village Tikri in the East direction

**South Direction**—Village Batiagarh in the South direction

**West Direction**—Village Sheikhpura in the West direction

Claims and objections are invited from the general public regarding the formation of City Council Batiagarh by including the villages shown in column number 3 of the table as above, if any person/organization has to submit any claim or objection in this regard. So on the official day and time, the undersigned has to send Madhya Pradesh Under Section 6 of the Municipality Act, 1961, it can be submitted till 10th December 2021. No. consideration will be given to the claims/objections received after the lapse of time.

S. KRISHNA CHAITANYA, Collector.